

॥ कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ॥

बाजार विभाग

1.वर्ष 2015-16 होर्डिंग बोर्ड का डिमाण्ड (6 जोन)

डिमाण्ड


21,68,968

वसूली

21,68,968

2.वर्ष 2016-17 होर्डिंग बोर्ड की निविदा प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 9.05.2016


बाजार अधिकारी
नगर पालिक निगम,दुर्ग

॥ कार्यालय,नगर पालिक निगम,दुर्ग ॥

—:: विज्ञापन निविदा शर्तें ::—

यह कि नगर पालिक निगम द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप विधियों 2010 अंतर्गत अपने प्रशासनिक अधिकारिता अंतर्गत होर्डिंग्स बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अधिकतम दर प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक ऑफर निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा करना होगा।
2. निविदा खोलने के पश्चात् प्रथम अधिकतम दर एवं दूसरे अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का अमानत राशि छोड़कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी।
3. अधिकतम दर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम,दुर्ग होगा।
4. अधिकतम दर स्वीकृति सूचना प्राप्ति के पश्चात् (01) एक माह के अंदर 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत दर अनुसार निर्धारित समय सीमा सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने पर जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रति वर्ष विज्ञापन शुल्क माह अप्रैल में 50 प्रतिशत व शेष 50 प्रतिशत माह अक्टूबर में देय होगा। दर से भुगतान करने का 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
5. यह कि होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप में प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग्स को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित एजेन्सी की होगी।
6. यह कि निगम क्षेत्र किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी भी क्षति चोट या हानि, भले ही यह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाना होगा।
7. उपयुक्त (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार की क्षति, चोरी या हानि भले ही वह दुर्घटना प्राकृतिक आपदा अथवा स्वयं (एजेन्सी) की असावधानी से हो, की भरवाई हेतु संपूर्ण रूप से संबंधित व्यक्ति यानि एजेन्सी दायित्वाधीन रहेगी।
8. यह कि मात्र ऐसी संख्या, स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा कि आयुक्त द्वारा विहित किया जाये तथा जिससे पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और नहीं उनकी रोशनी से आंखे चौंधियाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे तथा यदि अधीक्षक द्वारा ऐसी स्थिति पाई जाये या लिखित सूचित किया जाये तो अधीनक्षक की संतुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना अनिवार्य होगा।
9. यह कि अधीक्षक द्वारा लिखित में उपयुक्त (08) के अंतर्गत स्थित सूचित करने के उपरांत 72 घंटों के भीतर किन्ही भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने अथवा होर्डिंग्स को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा।

- और इस संबंध में मांगे गये खर्च और भारित के भुगतान हेतु संबंधित व्यक्ति एजेन्सी दायित्वाधीन रहेगी।
10. यह कि, किसी स्थल पर होर्डिंग्स के प्रदर्शन करने और अथवा होर्डिंग्स लगाने हेतु कोई संरचना/ढांचा खड़ी करने से पूर्व उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करेंगे और उससे लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा और किरायु तथा अन्य शुल्कों के निर्धारण और भुगतान के बाद ही उस पर होर्डिंग्स प्रदर्शित करने हेतु संरचना/ढांचा खड़ा करेंगे।
 11. यह कि, विद्युत अथवा अन्य विभाग के खंभे पर होर्डिंग्स को श्रृंखलाबद्ध रूप से लगाने संबंध में संबंधित विभाग/ प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना होगा। किराये और अन्य शुल्क यदि कोई हो तो के निर्धारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिंग्स लगाना होगा।
 12. यह कि, प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकाये अथवा/अन्यथा विकृत किये जाने या नुकसान पहुँचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं है तथा निगम को, इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस प्रकार होर्डिंग्स को विकृत करने तथा/या नुकसान पहुँचाने हेतु जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित एजेन्सी/व्यक्ति को होगा।
 13. यह कि, जब कभी अधीक्षक होर्डिंग्स के स्थल और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जायेगा तथा संबंधित एजेन्सी/व्यक्ति को अपने व्यय पर अधीक्षक की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण – पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 14. यह कि, निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियम) उप विधि, 2010 उप विधि 08 के अनुरूप जैसा कि विहित और लागू होर्डिंग्स शुल्क का भुगतान निश्चित समय के भीतर करना होगा।
 15. निविदा की अवधि 5 वर्ष की होगी चार बार एक-एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा, जिसकी पृथक से स्वीकृति अनिवार्य होगी। स्वीकृत दर प्रथम वर्ष के लिए होगा। उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर विज्ञापन शुल्क देया होगा।
 16. यह कि, किसी भी होर्डिंग्स को फुटपाथ पर स्थापित नहीं किया जायेगा।
 17. होर्डिंग्स स्थापित करने के पूर्व स्थल के संबंध में अनुमति लेना होगा।
 18. यूनोपोल, ट्रैफिक बूथ, बस स्टाफ ज्ञापन की स्वीकृत हो चुकी है। इस निविदा से मुक्त रहेंगे।
 19. शराब बीड़ी, गुटखा, सिगरेट या अन्य तंबाखू उत्पादन या कोई अन्या विज्ञापन को जो कि कानून की नजर में आपत्तिजनक हो प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
 20. कानूनों के अन्तर्गत निषिद्ध विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
 21. कोई भी विज्ञापन जो कि अश्लीलता प्रदर्शित करना हो वह प्रतिबंधित होगा, लगाये जाने पर संबंधित एजेन्सी उत्तरदायी होंगे अपमानजनक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
 22. यह कि, स्वीकृत होर्डिंग्स संख्या के 5 (पांच) प्रतिशत होर्डिंग्स निगम को शासन/नियम के जनहित कार्यक्रम प्रचारित करने हेतु स्थायी रूप से से उपलब्ध करवाने होंगे। इन होर्डिंग्स पर विज्ञापन एजेन्सी द्वारा कोई व्यवसायिक विज्ञापन नहीं किये जायेंगे।

23. प्रदर्शित विज्ञापन में सांप्रदायिक पूर्वागह या क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होना चाहिए।
24. विज्ञापन निविदा में भाग लेने वाली एजेन्सी को 10 वर्ष का विज्ञापन बोर्ड का अनुभव प्रमाण पत्र, सर्विस टेक्स नम्बर (टीन नंबर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायलय, तहसील, विज्ञापन मुक्त क्षेत्र होगा। जिसमें विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
26. विज्ञापन जोन में छत के ऊपर प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स बोर्ड स्थापित करने पृथक से विज्ञापन शुल्क देय होगा छत की अनुमति हेतु पृथक से प्राप्त करने भवन स्वामी से किये गये अनुबंध प्रस्तुत करना होगा। साथ ही छत पर होर्डिंग्स किस इंजीनियर की देख - रेख पर स्थापित करना होगा। व मजबूती के संबंध में इंजीनियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत की होर्डिंग्स विज्ञापन में जारी संख्या में सम्मिलित नहीं है छत विज्ञापन शुल्क की दर पृथक से निर्धारित की जावेगी।
27. विज्ञापन बोर्ड विद्युत ट्रांसफार्मर या विद्युत लाईन के नीचे नहीं लगाया जायेगा। ऐसे स्थानों पर लगाये जाने पर छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
28. यह कि रोड किनारे विज्ञापन प्रदर्शित करने होर्डिंग्स बोर्ड लगाने हेतु संबंधित भूमि स्वामी चाहे वह सरकारी हो या निजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
29. यह कि संबंधित भूमि व भवन स्वामी की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में किसी भी भूमि/भवन स्वामी द्वारा आपत्ति किये जाने पर होर्डिंग्स बोर्ड जप्त किया जावेगा।
30. जोनवार विज्ञापन क्षेत्र की सूची संलग्न है।
31. यह कि स्वीकृत संख्या या साइज से अधिक संख्या साइज के बोर्ड लगाये जाने पर पृथक से स्वीकृति व साइज के अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।
32. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।


 आयुक्त
 नगर पालिक निगम, दुर्ग